भारत सरकार
गृह मंत्रालय
सीमा प्रबंधन विभाग

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीईडीपी): संशोधित दिशानिर्देश (जून, 2015)

1. उद्देश्य:

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अन्तर्गत राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित दूरवित्त एवं अग्रणी क्षेत्रों में रहे लोगों की विशिष्ट विकासात्मक और अच्छे रहन-सहन की जरूरतों को पूरा करना तथा केन्द्रीय/राज्य/बीईडीपी/स्थानीय स्तरों एवं भागीदारी इक्ष्टिकोण के जरिए सीमावर्ती क्षेत्रों में संपूर्ण आवश्यक अवसरप्राप्ति सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

2. करारे:

2.1 सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम शतप्रतिशत केन्द्रीय दान वित्त पौधित कार्यक्रम बना रहेगा।

उक्त कार्यक्रम में 17 राज्यों अर्थात- अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिलामोर, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, रेवतीक, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, एवं पश्चिम बंगाल राज्य, जो कि अन्तरराष्ट्रीय भू-सीमाओं का निर्माण करते हैं, के 106 सीमावर्ती जिलों के 381 (लगभग) खंडों के भें भूमी गांव शामिल होंगे, जो अन्तर राष्ट्रीय सीमा से 0-10 किमी. के अंदर स्थित हैं, जहां ये सीमावर्ती खंड अन्तर राष्ट्रीय सीमा से सट उपस्थित हों। इनमें से प्राथमिकता उन गाँवों को दी जाएगी जो अन्तर-राष्ट्रीय सीमा से 0-10 किमी. के अंदर स्थित हैं और इनमें से भी उन गांवों को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाएगी जिनकी पहचान सीमा रक्षक बलों (बीईडीपी) द्वारा की जाएगी और इनके सामाजिक गांवों के नाम से जाना जाएगा। राज्य सरकारों 0-10 किमी. के द्वारे में आये गांवों में संपूर्ण सुविधाएं (सौंपृथिक) सुनिश्चित करने के बाद ही 0-20 किमी. द्वारे के अंदर आए गांवों के प्रावधान प्राप्त का कार्य हाथ में ले सकेंगी। राज्य सरकारों 0-20 किमी. के द्वारे में आये गांवों में संपूर्ण सुविधाएं सुनिश्चित करने के बाद 0-30 किमी. दूरी वाले गांव और फिर इसी प्रकार 0-50 किमी. तक की दूरी के अंदर स्थित गांवों के अगले सेट का कार्य हाथ में ले सकेंगी। राज्य सरकार, जिला स्तरीय समिति (डीईडीपी) से एक प्रमाणपत्र हस्तांतर करेगी और समस्त के रूप से संयुक्त होने के उपरान्त उस प्रावधान प्रक्रिया को सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय को भेजेगी, कि 0-10 किमी./0-20 किमी./0-30 किमी./0-40 किमी. के द्वारे में आये गांवों में संपूर्ण सुविधाएं सुनिश्चित कर दी गई हैं एवं क्रमशः 0-20 किमी./0-30 किमी./0-40 किमी./0-50 किमी. के द्वारे में आये गांवों के अगले सेट को सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीईडीपी) के अंतर्गत लेने के लिए विचार किया जा रहा है। हवाई दूरी को भी गणना में लिया जाएगा। साथ ही सीमा रक्षक बल (बीईडीपी) गांवों की पहचान करेगा। प्राथमिकता निरीक्षित करने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगी प्रयास बस्ती/गांव को 'जीवन' (शृंगार) लाइन दूरी वाला गांव माना जाएगा और आगे की दूरी की
गणना इसी गांव से की जाएगी। “सामान्य दाम” शब्द उन गांवों के लिए प्रयोग किया जाएगा जिनकी पहचान सीमा रस्तें बनती (बीजीएफ) द्वारा की जाएगी।

2.2 गांव की आवश्यकता संस्थापित: जिस ग्रामीण समस्याओं ‘गांव की संस्थापित’ अवसर संभाळने की परिभाषा रखी निम्न रूप से करेगी। तथापि ‘किसी गांव की संस्थापित’ के लिए उस गांव की न्यूनतम सुविधाओं में रोड कलेक्टरीटी, विद्युत, जिसमें घरों के लिए अलग शौचालयों की सुविधा हो, स्वास्थ्य सुविधाएं, विज्ञापन, जल आपूर्ति, सामुदायिक केंद्र, सार्वजनिक शौचालय विशेषकर महिलाओं के लिए, अच्छी तरह स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए सफल आदि सुविधाएं शामिल होंगी। परंतु जिसका स्वरूपरूप समस्याओं के लिए यह आवश्यक होगा कि वे उन गांवों की स्थानीय दशकों को ध्यान में रखते हुए ‘गांव की संस्थापित’ की परिभाषा के बारे में लिखिए हैं।

3. राज्यों को निधियों का आवंटन:

3.1 बजटीय आवंटन दो घटकों में विभाजित किया जाएगा जैसे कि - (i) पहला घटक कुल आवंटन का 40% होगा जो कि (सिक्किम सहित) आठ पूर्वोत्तर राज्यों के लिए होगा तथा (ii) दूसरा घटक कुल आवंटन का 60% होगा जो कि आठ पूर्वोत्तर राज्यों से इसर अन्य राज्यों के लिए होगा। उक्त निधियों का वितरण आठ पूर्वोत्तर राज्यों तथा पूर्वोत्तर राज्यों से इसर अन्य राज्यों को क्रमशः (i) अंतर राष्ट्रीय सीमा की लम्बाई (ii) समस्त खड़ों की जलसंख्या (iii) सामान्य स्वास्थ्य केंद्र के क्षेत्रफल के आपार पर, अलग-अलग किया जाएगा। (उपर्युक्त तीनों मापदण्डों का महत्व समान होगा)। दुर्गम क्षेत्र, संसाधनों की कमी तथा निम्नांकन का उच्च लागत के आधार पर पहाड़ी/रेगिस्तानी तथा कच्चे क्षेत्र को 15% वेटेज प्रदान किया जाएगा। अपवादवृक्ष छोटे राज्य, जिनकी अंतर राष्ट्रीय सीमा कम है और छोटी आबादी है, उन्हें नियम आवंटन प्रदान किया जाएगा। ऐसे गांवों, जो अंतर राष्ट्रीय शुरू सीमा से अनुपाय दूरी के अंत दर स्थित हैं, लेकिन वे उन खड़ों में नहीं आते हैं जो अंतर राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं, के लिए राज्य सरकार उपर्युक्त फार्मूले के अनुसार उन्हें राज्य का आवंटित धनराशि की सीमा में ही निधियों का प्रबंध करेगी।

3.2 जिला प्रशासन सर्व प्रथम संसाधनों का पता लगाएगा और निर्णयले एक गणना में शामिल करके बीएडीपी के अंतर्गत सम्मिलित किये गए सीमा खड़ों का स्थानीक मानचित्रण तैयार करेगा और तदनुसार र्लॉक-वार योजना तैयार करेगा:

(i) बीएडीपी निधियों का उपयोग पहली प्राथमिकता के आधार पर ‘जीसी’ लाइन के समय के गांवों में विकासात्मक स्तर के निर्माण में किया जाएगा।

(ii) सीमा रस्तक बांध अगले-अगले क्षेत्रों में सामान्य रूप से प्राथमिकता बाले गांवों को सुधी तैयार करेगे और इसे जिला प्राधिकारियों, राज्य सरकार तथा गृह मंत्रालय को अभियंतित करेगे। सीमा रस्तक बांध द्वारा यथा चलन एवं गृह मंत्रालय द्वारा
अनुमोदित सामाजिक सीमावर्ती गांवों को सबसे पहले विकासात्मक गतिविधियाँ जैसे रोड कन्फ्रेंसिंग, विज्ञापन, पीने के पानी की आपूर्ति, सफाई, स्वास्थ्य, कृषि एवं सहायक क्षेत्रों इत्यादि से संतुप्त (परिपूर्ण) किया जाएगा।

(iii) सामाजिक रूप से प्राथमिकता प्राप्त गांवों को संतुप्त (अवसरचना से परिपूर्ण) करने के बाद अन्य गांवों को विकास कार्य के लिए हस्तगत किया जाएगा।

4. निर्देशक सिद्धांत:

4.1 बीएडीपी निधियों का उपयोग सामाजिक महत्वपूर्ण अंतरालों को पांडे तथा सीमावर्ती आबादी की नातकलिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। बीएडीपी स्कीमों का नियोजन एवं कार्यनिर्णय पंचायती राज संस्थानी/स्वायत्त परिषदो/अन्य स्थानीय निकायों/परिषदों के माध्यम से भागीदारी एवं विकेंद्रीकृत आधार पर किया जाना चाहिए।

4.2 सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के कार्यनिर्णय के लिए राज्य सरकारों में मौजूद प्राथमिक व्यवस्था के अन्दर एक नोडल विभाग/प्रक्रिया मूल्यांकन निर्माण करने पर विचार कर सकती हैं। राज्य में बीएडीपी के साथ कार्य करने वाला नोडल विभाग 0-10/0-20/0-30/0-40/0-50 कि.मी. के दायरे में स्थित सीमावर्ती गांवों में संबंधित राज्य/केंद्रीय स्कीमों का कार्यनिर्णय सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के कार्यक्रम संबंधित विभागों जैसे विज्ञापन, ग्रामीण विभाग, उज्जवल, सड़क एवं भवन, जलपाई, सामाजिक कल्याण, सार्वजनिक वितरण, नागरिक आपूर्ति आदि के साथ व्यक्तिगत बैठकों आयोजित करेगा। भारत सरकार की केंद्र द्वारा प्रयोजित स्कीमों/अर्थशास्त्री स्कीमों और राज्य योजना स्कीमों के अंतर्गत निधियों का सीमावर्ती ब्लॉकों के इन क्षेत्रों में अधिकतम संसाधन सीमा तक उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भारत सरकार की विभाग केंद्र द्वारा प्रयोजित स्कीमों/अर्थशास्त्री कार्यक्रमों के तहत निधियों का लाभ लेने तथा दिशानिर्देशों में छूट, यदि कोई हो, प्राप्त करने हेतु संबंधित राज्य-विभाग उपयुक्त प्रस्ताव भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों को अभिव्यक्त कर सकता है और इसकी एक प्रति सुचनामयी सीमा प्रवेश विभाग, गृह मंत्रालय को भेज सकता है।

4.3 आधारभूत भौतिक एवं सामाजिक अवसरचना में कमियों/अंतरालों के मूल्यांकन हेतु सीमावर्ती गांवों में एक बेल्ट्राइंग संक्षेप किया जाएगा। इन अंतरालों को भरने के लिए एक ग्राम-वार योजना सुनिश्चित की जाएगी, जिसमें राज्य योजना स्कीमों/केंद्र द्वारा प्रयोजित स्कीमों/भारत सरकार की अर्थशास्त्री स्कीमों तथा बीएडीपी के माध्यम से वित्त पोषित परियोजनाओं का उल्लेख किया जाएगा। यह योजना, परियोजनाओं के बलन हेतु एक ग्राम-वार योजना सुनिश्चित की जाएगी। ऐसी किसी भी योजना में बीएडीपी और विभिन्न केंद्रीय/राज्य स्कीमों का अभिव्यक्त एवं सार्वजनिक सुनिश्चित किया जाएगा। क्षेत्रों के तौर पर विभिन्न अवसरचना स्कीमों का 'मनोरंजन' के साथ समन्वय किया जा सकता है जिससे कि बीएडीपी के अंतर्गत तो गई परियोजनाओं को ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों प्राप्त हो सके। उन परियोजनाओं का सार्वजनिक प्राथमिकता पर लेने के लिए टीम प्रयास किए जाएं, जो भारत सरकार अथवा राज्य सरकार की किसी भी स्कीम के अंतर्गत किया नहीं है।
4.4 बीएडीपी के अंतर्गत सृजित परिसम्पत्तियाँ को अनुरक्षित किया जाना चाहिए और राज्य सरकार द्वारा इसकी अर्थव्यवस्था से मोर्चा की जानी चाहिए। बीएडीपी के अंतर्गत वार्षिक आबंटन के 15 प्रतिशत तक की धनराशि को अनुसूचित किया जाना जाएगा। इसके अंतर्गत वर्षिक आबंटन के 15 प्रतिशत तक की धनराशि को अनुसूचित किया जाना चाहिए।

5. योजनाओं का चयन:

5.1 योजनाओं की एक निदर्शी सूची, जिसे बीएडीपी के अंतर्गत लिया जा सकता है, अनुमूल्यक - I पर उपलब्ध है। ऐसी योजनाओं की सूची, जो बीएडीपी के अंतर्गत अनुमूल्य नहीं हैं, अनुमूल्यक - II पर प्रस्तुत की गई है। कुछ स्कीमों में सीमा रक्षक बलों (बीजीएफ) द्वारा भी सुरक्षित जाना सकता है और इस पर व्यय राज्य को किए गए वार्षिक आबंटन का 10% होगा। सुरक्षा से जुड़ी अनुमूल्य एवं अनुमूल्य स्कीमों की प्रति सूची अनुमूल्यक - III पर स्थित है।

5.2 इन स्कीमों की योजना, सीमावर्ती इलाकों में रहे लोगों द्वारा सामना की जा रही विशेष समस्याओं को ध्यान में रखकर तैयार की जानी चाहिए। राज्य सरकार, क्षेत्र के समय संलग्न विकास के उद्देश्यों और सीमावर्ती इलाकों में आधारभूत भौतिक एवं सामाजिक अवसरधारण में अंतरात्मक कमियों के बारे में राज्य सरकार द्वारा किए गए मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए बीएडीपी के लिए वार्षिक योजना की स्पष्टता निम्नित करते हैं, जिसमें सीमावर्ती इलाकों में विकासात्मक गतिविधियों के लिए राज्य सरकार के पास उपलब्ध अन्य स्रोतों को भी हिसाब में लिया जाया। सबसे अधिक और रोजगार प्रोत्साहन, उत्पादन मूलक गतिविधियों, सीमावर्ती इलाकों के लोगों के बीच सुरक्षा का एक भावना पैदा करने हेतु कैशविर विकास की स्कीमों पर दिया जाना चाहिए ताकि लोगों को अपनी जीवन तलाशने के लिए अन्य इलाकों में न जाना पड़े। राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी ऐसे एकत्र क्षेत्र (सेक्टर) को राज्य के आबंटन का अनुपात से अधिक हिस्सा न प्राप्त हो। इसलिए, इसे सुविधाजनक बनाने के लिए अधिकतम/स्नूनतम सीमा निर्माणकोप सुझाया जाता है।

<table>
<thead>
<tr>
<th>सेक्टर</th>
<th>स्कीम</th>
<th>सीमा</th>
<th>आबंटन का प्रतिशत</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>अवसरधारण (i)</td>
<td>(i) लिक्क रोड, पर्यटन तथा ऊन दुर्गम क्षेत्रों, जहां सड़क आदि से संपर्क की व्यवस्था नहीं है, लिंक रोड, पुल, पुलिस, पेड़वाल पथ, हेलीपैड</td>
<td>अधिकतम</td>
<td>35</td>
</tr>
<tr>
<td>अवसरधारण (ii)</td>
<td>(ii) सुरक्षित पेयजल आपूर्ति</td>
<td>असीमित</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>स्वास्थ्य</td>
<td>पीएचसी भवन, चिकित्सा उपकरण, मोबाइल डिस्पेंसरी/एंड्यूलेस, चिकित्सा</td>
<td>स्नूनतम</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>क्रम</td>
<td>क्रिया</td>
<td>अधिकारियों तथा पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए आवास</td>
<td>अधिकतम मानक</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>-------</td>
<td>-----------------------------------------------</td>
<td>----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>कृषि</td>
<td>कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों के तहत सभी</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>किया-कलाप</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(क)</td>
<td>सामुदायिक केन्द्र, वृद्धों तथा विकलांगों के लिए कामन शेल्टर आदि, विस्तृत ट्रैक्स, ट्रैक्ट इंटेक्स, शौचालय सुविधा आदि सहित किसान शेड।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(ख)</td>
<td>पर्यटन तथा भेजबाली आदि सहित क्षमता निर्माण कौशल विकास</td>
<td>न्यूनतम (महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत हिस्सा निर्धारित किया जाना चाहिए।)</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>(ग)</td>
<td>स्वच्छता, स्वच्छ भारत अभियान, शौचालय, विशेषतः महिलाओं के लिए शौचालय का निर्माण, ग्रामीण स्वच्छता आदि।</td>
<td>न्यूनतम</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>विद्यालय भवन, आवासीय विद्यालय, पुस्तकालय, कंप्यूटर, विज्ञान एवं प्रयोगशाला कक्ष, विद्यालय में कार्यरत शिक्षक एवं अन्य स्टाफ के लिए मकानों का निर्माण</td>
<td>न्यूनतम</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>खेल गतिविधियों में खेल के मैदान, मिनी ओपन स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, आडिटोरियम, एडवर्सर्स ट्वेंटी तथा अन्य खेल संबंधी अवसर के लिए अपने विभाग या जिला स्तर पर</td>
<td>न्यूनतम</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>विलेख/विलिनिग्रह क्षेत्र स्तरीय</td>
<td>आदर्श श्रेणी, अंतर्द्वार आदि का निर्माण, मोबाइल डिस्प्ले, जीवायनकल्पना के लिए समुदाय अनुसरित अवस्थान, जैविक खेती को प्रोत्साहन, नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण, स्वच्छ भारत अभियान, खाद्यान्न तथा पेशू चारे के लिए गोदाम, ई-चौकाल मोबाइल मीडिया आदि</td>
<td>अनुमति (राज्यों के वार्षिक रक्षा तथा संगठन)</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>अनुरक्षण</td>
<td>प्रत्येक क्षेत्र का 15 प्रतिशत भाग बीडीपी के तहत सुधित परिस्थिति के अनुसार/सरकार, यदि अपेक्षित हो, के लिए उपयोग किया जाए</td>
<td>अधिकतम</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>वीजीएफ द्वारा सुझाव जाने वाली स्तरीय</td>
<td>उपयुक्त सभी श्रेणियों में 10% राशि की स्तरीय, जैसा कि वीजीएफ द्वारा सुझाव गया है, शामिल राशि। बीडीपी के तहत वीओपी या सीओपी में कोई स्तरीय प्रायोगिक नहीं की जाएगी।</td>
<td>अधिकतम</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>विस्तृत सेवाओं के लिए आफतित रखे जाने हेतु</td>
<td>एमआईएस का कार्यान्वयन, अनुशीलन, प्रशासनिक व्यवस्था, संशोधित, मीडिया प्रचार, लोजिस्टिक सहायता (वाहनों की खाद्य का अलंक्य) आदि</td>
<td>अधिकतम</td>
<td>1.5 अधिकतम केवल 50 लाख तक की सीमा सहित</td>
</tr>
</tbody>
</table>

5.3 ऊपर पूरा सं. 5.2 में सुझाव गई अधिकतम/अनुमति सीमा केवल मात्र खर्चों के लिए है तथा राज्य सरकारों के लिए अनिवार्य नहीं है। यदि, राज्य सरकार यह ज़रूरत करती है कि कोई क्षेत्र विशेष पहले ही विकसित हो चुका है और उस क्षेत्र में आगे और विकास की संभावना नहीं है, तो राज्य सरकार उस क्षेत्र विशेष के कोष को सीमा प्राप्त कर सकता है। गृह मंत्रालय को सूचित करने हेतु किसी अन्य अनुमोदित क्षेत्र के विकास के लिए बीडीपी के तहत अनुमोदित स्तरीयों पर चयन कर सकता है।

5.4 उन कमेंटें को पूरा करने, जैसा कि पूरा सं. 4.3 के लिए परियोजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करने हेतु एक गृहमंत्रि प्रिंस्पल वीरंगना कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए। बीडीपी का वाचिक कार्य योजना तीन अधिम रूप से तैयार कर ली जानी चाहिए और राज्य सरकार मांग समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात सीमा प्राप्त विभाग, गृह मंत्रालय को अवधि/आई तक प्रस्तुत कर दी जानी चाहिए। ऑफिसरशिप्स, यदि कोई हैं, यथा खान, पर्यावरण तथा अन्य स्थानिक निगमों, भूमि की उपलब्धता आदि का पूरा करने के संबंध में बीडीपी के तहत विस्तृत परियोजनाओं की स्थिरता करने समय अधिम रूप से योजना तैयार की जानी चाहिए।

5.5 जिला मस्तिस्लेट/उपयुक्त की अध्यक्षता में जिला सदस्य समिति नामक एक समिति होनी चाहिए जिसमें जिला विधाना, जिला योजना अधिकारी, संशोधित जिले का पुरस्कार अनुसार तथा क्षेत्र में विभागीय सीमा रक्षा बल का कमांड और उपकमांड शामिल होने चाहिए जो बीडीपी दिशानिर्देशों के तहत कार करने वाले सीमा बंट एवं बीडीपी की योजना तथा कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे।

5.6 जैसा कि पूरा सं.5.4 में निर्देशित है, जिला सदस्य समिति बंट एवं श्रेणी में भाग का बूथ-डोकॉन करने तथा उन अद्यावधि आदेश के अनुसार प्राथमिकताओं पर व्यापक ढंग से कार्य करने जिनके भीतर विस्तृत विभागीय स्तरों का चयन किया जाएगा अधिकतम यदि वह किसी भी गृह विभाग का सूचना अवस्थान है तो विधायन भवन/आविष्कार कलाकार, केंद्र का मैदान/खेल अवस्थान केंद्र, अभ्यासकेंद्रों के लिए कार्यांक आदि की अवधारणा/कमी के अनुसार निर्माण करने इसमें शामिल होना चाहिए।

5.7 जिला सदस्य समिति यह सुनिश्चित करेगी कि बीडीपी के तहत प्रारंभ स्तरों का केंद्र सरकार/राज्य प्रांत की चलें श्रेणी अभ्यासकेंद्रों की साथ अंतर्गत कार्य करते हो और साथ ही यह गृह मंत्रालय को तदनुसार अंतरित करने हेतु राज्य
5.8 जिला स्तरीय समिति लोक कल्याण हेतु चलाया जा रहे विकास कार्यक्रमों को केन्द्र/राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न स्तरों के साथ केन्द्राधिकृत एवं जिला कार्यों और इन विभिन्न स्तरों यथा पी एम जीएस, एमएचएसएन, एसएसए, जलापुरी योजना, राज्य स्तरीय योजना, सामाजिक विकास योजना, ग्रामीण विकास योजना, पंचायती राज्य योजना, कृषि विकास तथा अन्य स्तरों के माध्यम से आने वाले कोष को भी देखें।

5.9 जिला स्तरीय समिति लोकों की आवश्यकता के विषय में जानने के लिए स्थानीय सरकारों, विभागों, पी एम जीएस, सामाजिक, ग्रामीण, राज्य स्तरीय व अन्य सरकारी तथा विभागों के साथ वार्ता करें और उनके प्रस्तावों को पूरी तरह देखें। यह समिति लोकों की प्राथमिकताओं तथा लोक अवसरों तथा सेवाओं में कमियों को पुरा करने के लिए समय लेता प्राथमिकताओं के भीतर समय रूप से व्यस्त रहने वाले कोष को भी देखें।

5.10 जैसा कि पैर 5.4 में निर्देशित है राज्य सरकार के सीता क्षेत्र विकास कार्यक्रमों का वार्षिक कार्य योजना में शामिल करने के लिए अभ्यास रूप से परीक्षाओं/स्मारकों की शैक्षणिक तैयार कर तक भी नियोजित किया जा सकता और वर्ष के प्रारंभ में ही कोष उल्लंघन हो सके। जिला स्तरीय समिति इस स्तरों पर बीबीसी समिति स्तर की सबसे संदर्भितों के साथ वार्ता करें और यह सुनिश्चित करे कि सभी अवसरों तथा सेवाओं में महत्वपूर्ण कमियों को पूरा करे ली गई हो और अन्य केन्द्रीय/राज्य स्तरों के साथ केन्द्राधिकृत /जिला कार्यों को पुरा कर्तव्य भी है। और तदनुसार बीबीसी स्तरीय समिति लोक की प्राथमिकताओं तथा परीक्षें व फरवरी तक राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिया जाए।

5.11 राज्य सरकार बीबीसी की वार्षिक कार्य योजना (एएई) तैयार करने के लिए निम्नलिखित समय सीमा का अनुपालन करें:

<table>
<thead>
<tr>
<th>गतिविधि</th>
<th>समय सीमा</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>व्यापक प्रचारकरण, बीबीसी द्वारा निर्माण कार्य की पहचान करना</td>
<td>जनवरी तक</td>
</tr>
<tr>
<td>डीएससी द्वारा अनुमोदित स्तरों को राज्य नोडल विभाग के साथ परमाणु, अनुमोदन तथा अध्ययन</td>
<td>फरवरी/मार्च तक</td>
</tr>
<tr>
<td>राज्य नोडल विभाग द्वारा जांच तथा एसएसएस का अनुमोदन</td>
<td>अप्रैल/मई तक</td>
</tr>
<tr>
<td>गुड मंजूला द्वारा वार्षिक कार्य योजना की जांच बीबीसी के दिशा में निर्देशों के अनुसार स्मारक करना</td>
<td>भारत सरकार से कोष की प्राप्ति के एक महीने भी के भीतर</td>
</tr>
<tr>
<td>राज्य द्वारा तैयारी, जांच तथा निर्धारण एजेंसियों को कोष जारी करना</td>
<td>भारत सरकार से कोष की प्राप्ति के एक महीने भी के भीतर</td>
</tr>
</tbody>
</table>

5.12 बीबीसी द्वारा निर्माण कार्य योजना में शामिल करने के लिए अत्यन्त स्तर में तैयार करने हेतु एक स्पष्ट अनुमोदन भी तैयार करें और उसे सीमा के अन्तर्गत विभाग, गुड मंजूला को भी एक प्रति देते हुए डीएससी एवं राज्यों के नोडल विभाग को अभियंता रूप से प्रस्तुत करें तथा संविधान कमांड/उप कमांड त्याग पर संविधान के लिए डीएससी से साथ ही हाल में भारत लें और यह सुनिश्चित करें कि उनके प्रस्तावों को शामिल किया गया हो, यदि वे उपयुक्त हो।

5.13 जिला स्तरीय समिति यह सुनिश्चित करें कि बीबीसी की वार्षिक कार्य योजना में, बेल गतिविधियों तथा शैक्षणिक निम्नलिखित के अनुसार 5 लाख रुपये से कम अनुसार लगें वाली कोई स्तर शामिल नहीं हो।
6. अधिकार प्राप्त समिति:

6.1 नीतिगत विषय यथा बीएडीपी के दिशा-निर्देश, वह भौगोलिक क्षेत्र जिसके भीतर बीएडीपी का कार्यान्वयन किया गया है, कोष का आंबंटन, स्थान के नियामक का मोडल आदि सचिव, सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय की अधिकारिता में गठित अधिकार प्राप्त समिति द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे। बीएडीपी की अधिकार प्राप्त समिति का संघटन इस प्रकार है:-

<table>
<thead>
<tr>
<th>संख्या</th>
<th>सचिव (बीएम), सीमा प्रबंधन विभाग</th>
<th>अध्यक्ष</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2</td>
<td>सचिव, व्यवस्थापित</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>नीति आयोग के प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव से कमतर रैंक के नहीं)</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>अधिकार/विशेष सचिव तथा चित्र सलाहकार (गृह) गृह मंत्रालय</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td>5-21</td>
<td>17 बीएडीपी राज्यों के मुख्य सचिव अधिवास उनके द्वारा नामित (अपने राज्य में भारत सरकार के संयुक्त सचिव रैंक से कम के अधिकारी नहीं)</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>संयुक्त सचिव (कृ.), गृह मंत्रालय</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>संयुक्त सचिव (एन.ई), गृह मंत्रालय</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>संयुक्त सचिव, कोनर मंत्रालय</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>संयुक्त सचिव, राजीव विकास मंत्रालय</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>संयुक्त सचिव, खेल एवं युवा मामला मंत्रालय</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>संयुक्त सचिव, मान्य संसाधन विकास मंत्रालय</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td>29-32</td>
<td>बी एस एफ, आई टी बी पी, एस एस बी तथा असम राज्यकूल से प्रत्येक के प्रतिनिधि (आई जी से कम रैंक के नहीं)</td>
<td>विशेष आमंत्रित</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>संयुक्त सचिव (बी एम) गृह मंत्रालय</td>
<td>सदस्य सचिव</td>
</tr>
</tbody>
</table>

6.2 यह अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) राज्यों के कोष के आंबंटन के लिए फार्मूला प्राप्त होने पर इस दिशा-निर्देशों के द्वारे के भीतर उस संयुक्त राज्य जिसके भीतर बीएडीपी कार्यनिष्ठ करती है। भौगोलिक सीमाओं में बीएडीपी साझेदारी की संबंधायिता से संयुक्त नीतिगत मामलों, व कार्यान्वयन की स्तरीयता के लिए उद्देश्यों की रूपरेखा है। यह समिति एक विशेष वर्ग में कम से कम तीन वार अवश्य मिलेगी और ऐसी सदस्यों के साथ समन्वय में रहने जिसके निर्देश द्वारा निर्देशन करेगी जो इसके विचारों/निर्णयों को लेने में सहयोग सिद्ध है। परिस्थितियों तथा प्रधानमंत्री कल्याण, उसके निर्देशों के कार्यकाल में, तथा सीमांत जनसंख्या की तकनीक विभागों के आलोचना की दृष्टि से स्थायी नये चुकाने को लागू, जिसके अंत में बचत, यदि कोई हानि, तब उन राज्यों को जारी किया जाएगा जिसे है वहाँ आवश्यकता है।

6.3 किसी वर्ष विशेष में बीएडीपी के वर्जन आंबंटन के 5% से कमतर राशि को सुरक्षित रखा जाएगा और उसे तकनीक कोलोमो/परियोजनाओं तथा अन्य अनमित परिस्थितियों के लिए अध्यक्ष अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष रखा जाएगा। यदि इस प्रकार की कोई परिस्थिति उत्तरी कर नहीं होती है तो इस राशि को वर्ष के अंत में बचत, यदि कोई हानि, सहित उन राज्यों को जारी किया जाएगा जिसे है इसकी आवश्यकता है।

7. राज्य स्तरीय जांच समिति:

7.1 राज्य के मुख्य सचिव अध्यक्षता में बीएडीपी पर एक राज्य स्तरीय जांच समिति है, जो यदि नीतिगत किया गया है:
7.2 इन दिशांनिर्देशों की सुरेखा के अंतर्गत तथा ऐसे सामाजिक/विशेष निर्देशों के शर्तीधीन, जो कि उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा दिए जा सकते हैं, राज्य स्तर की स्कीमिंग समिति बीएडीपी के अंतर्गत कार्यान्वयन के लिए स्कीमों की सूची तैयार करेगी तथा गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन विभाग को प्रस्तुतीकरण हेतु वार्षिक कार्य पोज़िजन का अनुमोदित करेगी। राज्य स्तर स्कीमिंग समिति के अध्यक्ष (अथवा मुख्य सचिव) ऐसे सदस्यों को स्कीमिंग समिति में सम्मिलित कर सकते हैं जिनको राज्य स्तरीय स्कीमिंग समिति (एसएलएससी) में विचार/निर्णय की प्रक्रिया के लिए आवश्यक समझा जाता है।

7.3 किसी विशेष वर्ष में बीएडीपी के अंतर्गत एक राशि, जो राज्य के आबंटन से 25% अधिक न हो, उसे आधिकारिक स्वीकार करते हुए ऐसे अंत-आवश्यक स्कीमों/परियोजनाओं, आकृतिकारणों तथा अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए अध्यक्ष राज्य स्तरीय स्कीमिंग समिति के निर्णय हेतु रखा जाएगा। यदि ऐसी परिस्थितियां उच्चतन नहीं होती हैं तो ऐसी राशि को वर्ष के अंत में सीमा ब्लॉकों को जारी कर दिया जाएगा।
7.4 एसएलएससी वर्ष में कम-से-कम दो बार बैठक करेंगी। पहली बैठक मार्च/अप्रैल में दीएससी इत्यादि द्वारा अनुसंशित परियोजनाओं के अनुमोदन एवं निपटान के लिए की जाएगी, जैसा कि अनुवादी वर्ष के दिशानिर्देशों में प्रतिविनिधित्व है। वार्षिक कार्य योजना को पहली बैठक में निपटाना तथा अप्रैल तक इसे सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को संचालित करना आवश्यक है।

7.5 किसी विशेष वर्ष के लिए सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित स्थीमा/परियोजनाएं, जैसा कि वार्षिक कार्य योजना में अनुसंशित है, सामान्यतः बदली नहीं जाएंगी। तथापि, सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय में परियोजनाओं में किसी भी प्रकार के परिवर्तन पर तभी विचार किया जाएगा जब उसे प्रचालनात्मक कठिनाईयों/विशेष परिस्थितियों के कारण राज्यों (अर्थात मुख्य सचिव) द्वारा अनुसंशित किया गया हो।

7.6 एसएलएससी की सुरक्षा बैठक नवंबर/दिसंबर में बीएचडी के अंतर्गत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने, उपयोगिता प्रमाणपत्र एवं समायोजित प्रगति रिपोर्ट इत्यादि प्रस्तुत करने के लिए आयोजित की जाएगी।

7.7 संबंधित सीमा सुरक्षा बल राज्यों के साथ समन्वय के लिए राज्यसरकार नोडल अधिकारी नामांकित करेंगे तथा ऐसे अधिकारियों को एसएलएससी की बैठकों के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

7.8 राज्य सरकार बीएचडी की वार्षिक कार्य योजना को एसएलएससी द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को हर हाल में प्रत्येक वर्ष के अप्रैल तक प्रस्तुत करेगी, जैसा कि अनुसमनक-IV(क) से अनुसमनक-IV (च) में दिए गए प्रप्रत में दिया गया है।

7.9 अपने 100% आंबाटन में सीमा सुरक्षा बल द्वारा प्रस्तावित कार्य/परियोजनाओं को प्रप्तियों में इंगित के अनुसार पूर्ण रूप से दर्शाया जाएगा।

8. कार्यक्रमों के लियोण व मम्मता;

8.1 सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु बीएचडी के अंतर्गत परियोजनाओं को निम्न एजेंसियों द्वारा नियोजित किया जा सकता है:

(i) राज्य सरकार की एजेंसियों, जैसे पी डब्ल्यू डी, पीएचडी, ग्रामीण विभाग एजेंसियां, अन्य लाइन विभाग एजेंसियां तथा राज्य सरकार की सार्वजनिक उपक्रमें;

(ii) केन्द्रीय सरकार की एजेंसियां, जैसे सीपीडब्ल्यूडी, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक उपक्रम, सीमा क्षेत्रों में अवस्थित सीमा सुरक्षा बलें;

(iii) पंचायती राज संस्थाएँ/स्वयंसेवक जिला परिषदें/पार्षदिक परिषदें, अन्य स्थानीय निकाय एवं स्थानीय प्राधिकारी/परिषदें।
स्थानीय जनता की भागीदारी पर उचित बल दिया जाना चाहिए। स्वावलम्बक एजेंसियों, जिनमें स्थानीय गैर सरकारी संगठन/स्वयंसेवक संगठन जो किसी तरह की विदेशी सहायता/सहयोग प्राप्त नहीं कर रहे हैं, को सरकार एवं सीमा पर रह रही जनता के बीच परस्पर विश्वास के लिए निम्नोक्त किया जा सकता है।

9. राशि प्रवाह:

9.1 वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले सीमा प्रबंधन विभाग, बीएडीपी के अंतर्गत अगले वर्ष के दौरान राज्यों को आरंभिक की जाने वाली धनराशि की जानकारी देगा। धनराशि जारी करने हेतु योजनाओं सहित वार्षिक कार्य योजना जो कि राज्य स्तर स्कीमिंग समिति द्वारा यथाविधिः अनुमोदित हो, को अनुशंसक-IV (क) से IV (ख) में दिए गए प्रप्त के अनुसार एमआई एस अवेदन द्वारा अनुशंसक-V (क) तथा अनुशंसक-V(ख) में दिए गए प्रप्त में दी गई सूचना सहित सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय को अनुरोधित किया जाना चाहिए।

9.2 राज्यों को धनराशि दो किस्तों में जारी की जाएगी। अनुपारी वर्ष के लिए धनराशि, व्यय की पुष्टि तथा योजनाओं की अनुमोदित सूची की प्राप्ति पर आधारित होगी। राज्य को आरंभिक के 90% की पहली किस्त राज्य को पूर्व के वर्ष, सिवाय पिछले वर्ष के, के लिए जारी राशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर जारी की जाएगी। यदि पूर्व वर्ष के दौरान, सिवाय पिछले वर्ष के, जारी राशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में कोई कमी है तो इसे पहली किस्त जारी करने के समय काट सिया जाएगा। राज्यों को आरंभिक शेष 10% की दूसरी किस्त राज्यों का अक्तूबर माह में पूर्व वर्ष में जारी राशि जो 50% से कम न हो, के उपयोगिता प्रमाणपत्र तथा सितंबर में समाप्त होने वाले (अर्थात वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही) तिमाही तक के तिमाही प्रगति रिपोर्ट (वास्तविक एवं वित्तीय) के प्रस्तुत किए जाने पर ही जारी की जाएगी।

9.3 पूर्व वर्ष से संबंधित लम्बित उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की सीमा तक, कटौती यदि कोई हो जो उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा नहीं किया जाने पर पहली किस्त जारी करने समय की गई थी, उसकी भरपाई दूसरी किस्त जारी करने समय की जाएगी।

9.4 राज्य सरकारों को बीएडीपी के लिए एक पृष्ठबंद जब्त शीर्ष बनाना आवश्यक है। भारत सरकार से धनराशि की प्राप्ति पर राज्य सरकारों द्वारा इसे तत्काल कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी कर दिया जाना चाहिए तथा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार किसी भी राशि पर राशि को जमा करके रखना स्वतंत्र रूप से प्रतिविधित है।

10. अनुमोदन एवं समीक्षा:

10.1 राज्य सरकारों, बीएडीपी योजनाओं/परियोजनाओं के निरीक्षण के लिए एक संस्थागत व्यवस्था विकसित करेगी तथा सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। प्रत्येक सीमा ब्लॉक किसी उच्च स्तरीय राज्य सरकार नोडल अधिकारियों को आरंभिक किया जाना चाहिए जिसे
नियमित रूप से ब्लॉक का दौसा करना चाहिए तथा बीएडीपी योजनाओं के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

10.2 गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक तीसरे पक्ष द्वारा निरीक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था होनी चाहिए। बीएडीपी योजनाओं के लिए निरीक्षण के लिए मंत्रालय एक स्वतंत्र मॉनिटर (व्यक्ति/एजेंसी) नियुक्त करेगा। इसे स्वतंत्र मॉनिटर को राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनिटर विनिर्दिष्ट किया जाएगा जिसका सभी प्रशासनिक, तकनीकी तथा वित्तीय रिकार्ड पूर्ण रूप से उपलब्ध कराए जाएंगे। राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनिटर (एनक्यूएम) अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय तथा राज्य सरकार को तिमाही आधार पर प्रस्तुत करेगा। एनक्यूएम की कार्यन्वयन में, सदियों आवश्यक हो, सुधारों का भी सुझाव देगा।

10.3 जिला स्तर की समिति बीएडीपी के अंतर्गत कार्य के अवसर न्यायविधि के अनुसार की तथा कार्यों के गुणवत्ता की जिम्मेदारी लेगी तथा तिमाही आधार पर कार्य/योजनाओं की पाठ्य के साथ राज्य सरकार को आगे गृह मंत्रालय को अनुमोदित करने हेतु एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

10.4 राज्य सरकार के बीएडीपी योजनाओं की मौजूदा जिला स्तर अनुवीक्षण/सशक्तीकरण समिति के द्वारा अनुवीक्षण पर विचार कर सकती है जिसमें स्थानीय संसद सदस्यों/विधान सभा सदस्यों का अनुमोदन होगा।

10.5 तिमाही प्रगति रिपोर्टे, स्कीम-वार सीमा प्रबंधन विभाग को एमआईएस आवेदन द्वारा तिमाही की समापटि के कमतर 15 दिन के अंदर प्रस्तुत की जानी चाहिए (जैसा कि अनुसरण-VI में प्रपत्र में दर्शाया गया है)। वर्ष-वार समेकित उपयोगिता प्रमाणपत्र सामान्य वित्तीय नियमों के निर्धारित प्रपत्र (जीएफआर 19 क) में वित्तीय वर्ष के अंत होने के बाद महिने के अंतर्गत भेजा जाना चाहिए, जैसा कि अनुसरण- VII में दिया गया है। परियोजना स्थलों पर एक प्रदर्शन (डिस्पेल) बोर्ड रखा जा सकता है जिसमें भारत सरकार के बीएडीपी के अंतर्गत पूरे एक जोड़ी/पूरे कर लिए गए कार्यों को इमिटेट दिया गया हो।

10.6 राज्य सरकार उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से पहले बीजीएफ से अनुपस्थि प्रमाण पत्र तथा योजना का पत्र-पूर्ण (कम्पलीशन) प्रमाणपत्र प्राप्त करेगे, जैसा कि बीजीएफ से गृह मंत्रालय को सुझाव दिया गया है।

10.7 राज्य सरकार वित्तोत्तर प्रोजेक्शन प्रचार इत्यादि हेतु सीमावर्ती गांवों/कस्बों में बीएडीपी के अंतर्गत परिस्थितियों की सम्पत्ति सूची तैयार करेगा। ऐसे विवरण को सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय को राज्य सरकार द्वारा कार्यन्वित महत्वपूर्ण स्कीमों पर एक लेख सहित एमआईएस एफ्लीकेशन द्वारा संचारित की जानी चाहिए।

10.8 सभी पूरी हो चुकी परियोजनाओं के पूरा हो जाने के पश्चात वेबसाइट पर उनके फोटो अपलोड करवाने हेतु राज्य के जिला मजिस्ट्रेट/उप आयुक्त तथा मुख्य सचिव जिम्मेदार होंगे।
11. मैनेजमेंट इंफोर्मेशन सिस्टम (एमआईएस):

11.1 गांव तथा योजना/परियोजना को एक मूल इकाई के बताये मानकर गृह मंत्रालय में एक उपयुक्त "मैनेजमेंट इंफोर्मेशन सिस्टम (एमआईएस)" विकसित किया गया है। इस प्रभावी रूप से वर्ष 2015-16 से कार्यनिष्ठ किया जाएगा तथा वार्षिक कार्यवाही योजना, धनराशि निगमन, अनुबंधकर्ता तथा ई-फाइलिंग सहित सभी गतिविधियों को एमआईएस एप्लीकेशन से निपटाया जाएगा।

11.2 यहाँ तक, राज्य सरकार राज्य के साथ-साथ जिला स्तर पर उस भागीदार व्यविधि को नोडल अधिकारी बनाएगा जिसको जिले से जिले को और जिले से गृह मंत्रालय को आंकड़े प्रदान करने की निर्देशितक तथा परिशुद्धिता का मतलब करने तथा राज्य आईटी नोडल अधिकारी और जिला आईटी नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का पर्याप्त जान हो। निर्धारित नोडल अधिकारी बीएडीपी के लिए कार्य में लगे कार्यक्रम की कम्प्यूटर प्रशिक्षण आवश्यकताओं के साथ-साथ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा इंटरनेट कम्यूनिकेशन की मशीन निर्देशन करने के लिए जिम्मेदार होंगे। वह लगातार राज्य मुख्यालय पर एमआईएस कोरिडोर के साथ सम्पर्क बनाए रखेगा। जिला मोजिस्ट्रेट को अपलोडशन पर डाटा अपलोड करने और व्यूचेक स्तर के साथ जिला स्तर पर इसके निरंतर रखरखाव के लिए जिम्मेदार नियुक्त की जाएगी।

12. जमा राशि पर अर्जित ब्याज की उपयोगिता:- किसी भी स्तर पर बीएडीपी निधियों की जमा राशि पर इकट्ठा हुआ ब्याज बीएडीपी के तहत अंतिम संशोधन के रूप में माना जाएगा और प्रायोजकता वाले गांवों में बीएडीपी के दिशानिर्देशों के अंतर्गत कवर क्षेत्रों के लिए जिला स्तर समिति द्वारा चलाए जा रहे कार्य/परियोजनाओं पर उपयोग होगा।

13. नियंत्रक एवं महालेखा परिक्रमा:- राज्य सरकार बीएडीपी के अंतर्गत चल रहे कार्य का सी एंड ए जी द्वारा परिश्लेषित नियमित लेखापरीक्षा कराएगा और सी एंड ए जी लेखापरीक्षा के पूरा होने के बाद बीएडीपी शीर्ष के तहत व्यापक पर सी एंड ए जी के प्रश्नों को गृह मंत्रालय प्रदान करता है।

*******
सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमोदन स्कीमों/परियोजनाओं की दृष्टि स्वरूप सूची।

बीएडीपी निधियां सामाजिक: विभिन्न केंद्रीय/राज्य स्कीमों के अंतर्गत उपयोगी निधियां के बाद संकटग्रस्त अंतरालों को पूरा करने के लिए और सीमा आबादी की तकनीक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाएगा। मूलभूत, शारीरिक और सामाजिक अवसरणा में अंतराल को निधियों करने के संबंध में एक बेहद लाइन सर्वेक्षण सीमावर्ती गांवों में चलाया जाएगा और बीएडीपी के साथ विभिन्न केंद्रीय/राज्य स्कीमों की समाधिकृतता सुनिश्चित की जाएगी।

2. बीएडीपी क्षेत्र के अंतर्गत चलाई जा रही विभिन्न स्कीमों/परियोजनाओं व्याख्यात्मक रूप में नीचे दी गई हैं:

1) (क) अवसरणा (I)

(i) पहाड़ी, एवं अग्रान्त क्षेत्रों जहां, सडक से सम्पर्क नहीं, में अप्रौंच सडकों, लिंक रोड पुल, पुलिस, फुट ब्रिज, फुट सरपंचन ब्रिज, फुटपाथ, पाथवे, रोपवे, स्टेप्स/मेसनरीस्टेप्स, हलीपेड़ का निर्माण एवं सुरक्षित;

(ख) अवसरणा (II)

(i) स्वच्छ पेयजल आपूर्ति

(ग) अन्य अवसरणा

(i) सीमावर्ती क्षेत्रों में साप्ताहिक हाटी/बाजारों तथा सांस्कृतिक गतिविधियों इत्यादि के लिए अवसरणा का विकास

(ii) नए पर्यटन केंद्रों का सृजन

(iii) नई एवं नवीनीकरण ऊर्जा: बायोगैस/बायोमास गैसीफिकेशन, सोलर एवं वायुड इनजीशीय करी एवं छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट- समुदाय प्रयोग एवं संबंधित गतिविधियों के लिए व्यवस्था/यंत्र

(iv) उपयोगों के लिए अवसरणा का विकास-स्थानीय निवेश से लघु उद्योग अर्थव्यवस्था हेडलूस, हेडलूफ्ट, फर्नीचर मेकिंग, छोटी इंडस्ट्री, ब्लेक सिंथ वर्क, इत्यादि एवं बांध प्रस्तरकरण उद्योग;

(v) ग्रामीण पर्यटन/सीमावर्ती पर्यटन को बढ़ाना

(vi) धरोहर स्थलों का संरक्षण

(vii) लिंक रोड, सार्वजनिक भवनों के संरक्षण के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में सुरक्षित दिवार
(viii) जल निप्पादन व्यवस्था इत्यादि के भाग के रूप में नाली/गटर

2) स्वास्थ्य

(i) सीमावती गांवों में स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत डॉक्टरों, परिचिति-संक में अन्य अधिकारियों के लिए मदकानों का निर्माण

(ii) भवन अवसरना (पीएससी/सीएमसी/एसएससी)

(iii) आधारिक/प्रारंभिक तरह के चिकित्सा उपकरणों का प्रावधान

(iv) दंत चिकित्सालय, पेयाल्मोचकल एक इत्यादि के लिए एक्स-रे, इसीजी मशीनों, उपकरणों को भी खरीदा जा सकता है।

(v) सरकार/पंचायती राज संस्थानों द्वारा शामिल क्षेत्रों में टेली मेडिसीन सहित मोबाइल डिस्पेंसरियों/एक्स-रे की स्थापना।

(vi) सीमावती गांवों में एचएससी/डिस्पेंसरियों के चारों तरफ बाँधी वाल/कांटेडर तार का निर्माण

3) कृषि एवं संवाध क्षेत्र

(i) पशुपालन एवं डेयरी
(ii) मटर पालन
(i) रेशम उत्पादन
(ii) मूर्ति पालन/मछली/सुअर/बकरी/बेठ पालन
(iii) जंगल, बागवानी/पश्चिम कृषि
(iv) सिंचाई बांध का निर्माण अथवा लिफ्ट सिंचाई अथवा वाटर टेबल

(v) जल संरक्षण कार्यक्रम

(vi) सरकारी और सामाजिक भूमि अथवा चारागाह भूमि सहित अन्य छोटी गाँव भूमि में सामाजिक वास्तको, पार्क, उद्यान

(vii)पशु चिकित्सा सहायता केन्द्र, कृषि ग्रामीण केन्द्र और ग्रामजन केन्द्र

(viii) स्केल अर्थत्यायन – बैंकवर्द-फारवर्द सिंचाई को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र विशिष्ट पद्धति
(ix) खेतीबाड़ो में आयुर्विज्ञान/वैज्ञानिक तकनीक के प्रयोग के लिए किसानों को कृषिको प्रशिक्षण

4) सामाजिक क्षेत्र

(i) सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण।
(ii) अंगनवाड़ीयों का निर्माण।
(iii) सांस्कृतिक केन्द्रों/सामुदायिक हाल।
(iv) बुद्धि अथवा अपाहिजों के लिए कॉमन शैल्टर्स का निर्माण।
(v) ट्रांजिट कैम्पसों स्टेजिंग हडस/प्रशिक्षा शैद्ध/वारिश शैल्टर्स शौचालयों का निर्माण। बाइ स्टेजिट के नेटों पर शौचालयों के साथ फिसान शैद्ध।
(vi) आदर्शवादियों सहित सार्वजनिक भवनों के चारों तरफ या पारदिवारी/कॉन्टेंडर तार की बाइ का निर्माण।
(vii) स्मारक क्षेत्र तथा एससी/एसटी निवास स्थानों और पर्यटन केन्द्रों, बस स्टेजिट इट्यादि सहित विशेषकर महिलाओं एवं सार्वजनिक भवनों के लिए सीमावर्ती गांवों में ग्रामीण स्वच्छन्द/शौचालय व्यवस्था। अन्य शौचालयों पर और विशेषकर महिलाओं के लिए।
(viii) सीमावर्ती गांवों में स्वच्छ भारत अभियान।
(ix) युवकों को स्व-रोजगार हेतु व्यवसायिक अध्ययन एवं प्रशिक्षण और कारीगरी, जुड़वाह, किसानों इट्यादि कौशल उन्नयन, पर्यटन एवं मेजबानी में कौशल विकास इट्यादि के माध्यम से क्षेत्रता निर्माण कार्यक्रम, मुख्य ध्यान महिला क्रियाक्रम पर दिया जाना चाहिए।
(x) विज्ञान, पाणी आदि जैसी नागरिक सुविधाओं का प्राप्तव्य।

5) शिक्षा:
(i) सीमावर्ती क्षेत्रों में शिक्षा क्षेत्र में व्यस्त शिक्षकों एवं अन्य अधिकारियों के लिए मकानों का निर्माण।
(ii) प्राथमिक/मिडिल/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन (अतिरिक्त कमरों सहित)
(iii) होटल/डोमेस्टरी का निर्माण।
(iv) सार्वजनिक पुस्तकालयों और अध्ययन कक्ष।
(v) आवश्यक अवसरनाला एवं इंटरनेट कॉनेक्टिविटिदी के साथ कम्प्यूटर प्रयोगशालाओं का निर्माण।
(vi) आवश्यक अवसरनाला के साथ विज्ञान प्रयोगशालाओं का निर्माण।
(vii) पहाड़ी क्षेत्रों एवं सुदूर एवं तुंगम क्षेत्रों में, जहां कहीं संभव हो, विद्यालय आवासीय विवादों का निमोण एवं छात्रावास का निमोण।
(viii) विवादों का निमोण/विद्यालय विवादों में अवसरित का बल प्रदान करना, यथा कमरा, प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर कक्षें, खेल सुविधाएं, लड़कियों के लिए छात्रावास सुविधा आदि।
(ix) लड़कियों हेतु शौचालय सहित विवादों में शौचालय निमोण।
(x) विवादात्मक, छात्रावासी/शिक्षावार्त, खेल के मैदान, पुस्तकालय और अध्ययन कक्षों के चारों ओर अध्यापकों की चाहे और चाहिए तारा का घेराय।

6. खेल के मैदान की गतिविधियां:

(i) खेल के मैदान का विकास।

(ii) मुख्यवाणी, तीरंगाजी, निशानेवाजी, मार्शल आई., जुड़े कराए एवं साहसिक खेलों सहित अन्य लोकप्रिय खेल।

(iii) खेलों की अवसरितन का विकास: पर्यटन/खेल/साहसिक खेल योजना-सीमा प्रवेश को, जहां कहीं व्यवहार हो, पर्यटन एवं खेल सहित विश्वस्तरीय अवसरितन का निमोण, कच्चे के रण में रॉक क्लेबिंग, पर्यटनोर्म, रियर राेफिंग, फोरेस्ट ट्रेकिंग, स्कीइंग एवं सफारी

(iv) मान्यताप्राप्त जिलों या राज्य खेल संघों के लिए तथा सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों या चिकित्सालां के लिए भवनों का निमोण (व्यवस्थापन केंद्रों में, खेल संघों में शारीरिक प्रशिक्षण संस्थानों आदि में मल्टी-जिम सुविधा की व्यवस्था)

(v) मिति ओपन स्ट्रीटायम, इंडोर स्ट्रीटायम, आडीटोरियम आदि का निमोण।

7. विशेष/विनिर्देशित क्षेत्र योजनाएं:

(i) आदर्श ग्राम, सीमा के निकट पाँच छ: गाँवों से चिरे अच्छी खासी आबादी के कम से कम एक गांव का समेकत्त्व किया।

(ii) स्थापत्य: अभिधारण, सच्च विचित्रसारिया/एंबुलेंस, जिसे आवश्यक पोर्चरल उपकरणों में युक्त गया है।

(iii) जीविकापोषण: समुदाय आधार पर अवसरितन यथा चरागाह, मदेशी के लिए शेडिंग (केवल गरीबी रेखा से नीचे के लोगों हेतु) मस्त्रे पालन हेतु तालाब, बहु-उपयोगी सामाजिक केन्द्र, विपणन याईड, मिली खट, स्थानीय कारोबारों के लिए कुटियां/लघु उपयोग हेतु सामाजिक और धार्मिक शेडिंग, गौरीका तथा जोड़ो लघु जैविक खाद का स्थान।

(iii) जीविकाय की संवर्धन।

(iv) ऊँचों: नदीय एवं नदीकरणीय ऊँचों यथा- सौर और लघु जल विश्वुल परियोजनाएँ, वायोगेस, पवन ऊँचों, जल ऊँचों आदि।
(v) पर्यटन: पर्यटन अनुिवारताएं, साहसिक पर्यटन सुविधाएं, पर्यटन स्थलों पर कैंपिंग, पार्किंग, जन सुविधाएं, ग्रामीण पर्यटन हेतु सुविधा, विरासत स्थलों की सुरक्षा, पर्यटन एवं आतिथ्य में कौशल उन्नयन आदि।

(vi) स्वच्छ भारत अभियान: विवालयों/साव्यजनक स्थानों में शौचालय का निर्माण विशेषकर महिलाओं के लिए।

(vii) पहाड़ी क्षेत्रों में, विशेषतः अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर के हिमाचल प्रदेश क्षेत्रों में खाने-पीने और चावा के लिए भंडार गृह।

(viii) ई-चौपाल, एचीशॉप्स, मोबाइल मिडिया वैन आदि।
सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अनन्तर नामक कार्य की सूची:

बीएडीपी के अंतर्गत छोटे संपत्तियों का निर्माण। विनिर्दिष्ट श्रमिक/व्यक्तियों को लाभावृत्त करने की प्रकृति वाली छोटी योजनाओं को राज्य सरकार द्वारा उनके विकासात्मक पहलों के अंतर्गत क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता है।

बीएडीपी के अंतर्गत निम्नान्त किये जाने वाले परियोजनाएं/कार्य अनुमोदन नहीं हैं:-

अवसरसमय:

i) निजी लाभ की कोई योजना (जैसे कि निजी बस्तियों, ढेरा और निजी कृषि क्षेत्रों में स्थापित धानियों, फार्म हाउसों आदि में बड़के)।
ii) कब्रिस्तान/श्रमिक घाट में क्रियाशील शेड्स का निर्माण और चाहर- दीवार।
iii) कुप्स/बाला/खाला की सफाई।
iv) तालाबों का घेराव दीवार/जल धारण दीवार।
v) स्थानीय निकाय के कार्यालयों हेतु भवन, पटवारखाना, पंचायत घर, बीडीओ, डीसी, कर्मचारियों हेतु आवास (सीमा क्षेत्रों के विद्यालयों में कार्यालय कर्मचारियों तथा सीमा पार के ग्रामों में और-मेडिकल के घरों को छोड़कर), सरकारी भवन, निर्माण बंगला आदि का निर्माण।
vi) महत्त्व गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांवी सीमा योजना (संवर्ग) के अंतर्गत क्रियान्वित किए जाने वाले किसी प्रकार के कार्य।

स्वास्थ्य:

i) स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम।
ii) नेत्र शिविर।
iii) आसीन-ए खान कार्यक्रम।
iv) ब्लड बैंक।
v) मलेरिया, फिलेरिया, लिपोसिस, एड्स आदि का नियंत्रण।
vi) आयामों के लिए प्राथमिक चिकित्सा सहायता किट्स।

कृषि एवं संख्यात्मक क्षेत्र:

i) गांवों, शहरों एवं नगरों में तालाबों की सफाई।
ii) निकासी मुद्दाधार।
iii) मृदा संरक्षण- भूशरण की सुस्थि- बाढ़ से संरक्षण।
iv) उन्नत बीज, खाद्य एवं प्रोत्साहन उपकरण का उपयोग।
v) जैविक कृषि।
शिक्षा:

i) विभाग योग्यता/किताब की खरीदा।
ii) व्यस्त शिक्षा।
iii) पुस्तक/पत्रिका।
iv) टीवी/डीश एनटीवी।
सीमा सुरक्षा बलों द्वारा बीएडीपी के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की अनुमोदन और अनुमोदन मदद की सूची:

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बलों द्वारा सीमावर्ती आवादी के लिए निर्माताक विकासात्मक प्रक्रिया की योजनाएं उनके कल्याणार्थ सिफारिश/निर्देशन की जा सकती हैं। इन योजनाओं पर प्रयोग इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य को किए गए वार्षिक आबंटन की राशि से 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए:

क) पोर्टर ट्रैक्स, क्रूज बुला, सीमा सुरक्षा बलों की आवाजाही हेतु आवश्यक सक्के।
ख) सीमा क्षेत्रों में पेय जलपूर्ति, इसमें पेयजलोधक/आर.ओ. प्रणाली की स्थापना शामिल है।
ग) सीमावर्ती गांवों में वानिक एवं वानिकरणीय ऊर्जा सहित बिजली, लघु पान बिजली परियोजना आदि।
घ) गांवों में समपक सक्के।
ड) टॉपजिट शिवर्त/स्टेजिंग हैटस/प्रतीकात्मक शेड्स/वर्षा से बचने का आश्रय, जिसमें शौचालय की व्यवस्था हो, और जो पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन संभावित क्षेत्र के निकट गती भारी पर स्थित हो तथा बाढ़ के गेट पर किसान शेड्स और शौचालय या बीजीएफ के विचार से जहां आवश्यक हो और शासनीय आवादी के लिए यथा-आवश्यक निमंत्रण।
च) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के दिशानिर्देशों की सीमा के भीतर सीमावर्ती आवादी के लाभार्थ कोई अन्य मद।

2. सीमा रक्तबल (बीजीएफ) सीमा के युवकों की खेल-गतिविधियों को प्रोत्साहित करेगा। ये गतिविधि मुक्केबाजी, तीरंदाजी, निषादवाजी, मार्शल आर्टिस्ट, जुडो-काराटे आदि तथा साहसिक खेलों सहित अन्य खेल, विद्यालयों में उंट/घोड़ा सवारी में प्रशिक्षण, पवताराहण, चट्टान पर चढ़ना, ट्रेकिंग आदि खेल व गतिविधियां शामिल हैं, जिसमें युवक प्रशिक्षण होना चाहिए हो। बीजीएफ इस उद्देश्य हेतु संच और कोच की व्यवस्था करेगा तथा खेलों में बच्चों को निकाला जा सके।

3. अपेक्षाओं के अनुसार खेल के मेडिटेशन, स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, आडीटोरियम, शूटिंग रेज आदि जैसे अवसरपत्र का विकास/निर्माण कर सीमा रक्तबल बलों की सिफारिश पर मुहैया कराई जा सकती हैं। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आवश्यक खेल-सामग्री, उपकरण, किट्स भी उपलब्ध कराया जाए जिसमें शस्त्र एवं गोलाबाहृद्य शामिल न हो। इस उद्देश्य हेतु राज्य को आवश्यक राशि के 10% को 2015-16 से आगे के वर्षों में उपयोग किया जा सकता है। यह लाभ उपयुक्त पैसा में उल्लिखित योजनाओं हेतु विभिन्न 10% के आबंटन के अतिरिक्त होगा।

4. तथापि, ऐसी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य-स्तरीय जांच समिति का अनुमोदन एक पूर्व-शर्त है, यह राज्य की वार्षिक कार्य योजना का एक भाग होगा। बीएडीपी
5. वीआईएच के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य अनुमति नहीं हैं:

(क) किसी तरह की ऐसी योजनाएं/कार्यक्रम, जिसके तहत गृह मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट जाती हैं, यथा दवा की खरीद, आंख का शिविर आदि।

(ख) गाडी/नाइट विज्ञ प्रिंटिंग/अन्य उपकरण आदि।

(ग) वैडर, मचाम, वाच टावर, आदि, सामान्य अवसराधिक आदि के निर्माण सहित वीआईएच के भीतर किसी प्रकार की अवसराधिक।
सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (वीएडीपी)

उर्जा के लिए बी ए डी पी हेतु वार्षिक कार्य योजना

राज्य का नाम:

प्रत्येक राज्य के लिए निम्नलिखित कार्य योजना

| क्रम सं. | क्षेत्र तथा योजना/परियोजना का नाम | स्थान | चालू वर्ष के लिए योजना का अनुमोदित परिपत्र | योजना को पूर्ण करने का लक्ष्य | क्या योजना नहीं है | क्या योजना विभंग वर्ष से चली आ रही है | चालू वर्ष में अपेक्षित निषेधात्मक | टिप्पणियाँ |
|--------|-----------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------|----------------riba |
| 1      | (क) अवसर सरंचना (1)       |      | 3                               | 4                               | 5               | 6                           | 7                        | 8                |
| 2      | (ख) अवसर सरंचना (11)      |      |                                 |                                 |                 |                             |                          |                  |
| 3      | (अ) अन्य अवसर सरंचना      |      |                                 |                                 |                 |                             |                          |                  |
| 4      | स्वास्थ्य                     |      |                                 |                                 |                 |                             |                          |                  |
| 5      | कृषि एवं सहायक क्षेत्र       |      |                                 |                                 |                 |                             |                          |                  |
| 6      | सामाजिक क्षेत्र               |      |                                 |                                 |                 |                             |                          |                  |
| 7      | शिक्षा                        |      |                                 |                                 |                 |                             |                          |                  |
| 8      | खेत गतिविधियाँ               |      |                                 |                                 |                 |                             |                          |                  |
| 9      | विशेष/विशिष्ट क्षेत्र योजनाएँ |      |                                 |                                 |                 |                             |                          |                  |
| कुल    |                             |      |                                 |                                 |                 |                             |                          |                  |
सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी)

वर्ष के लिए बी ए डी पी हेतु वार्षिक कार्य योजना

राज्य का नाम:

एस एल एस सी की बैठक आयोजित की गई:

सीमा रक्षक चलो द्वारा सुझाव गए कार्यों/योजनाओं को दर्शाने वाला प्रारूप:

| क्रम सं. | क्षेत्र तथा योजना/परियोजना का नाम | स्थान | चालू वर्ष के लिए योजना का अनुमोदित परित्याग | योजना को पूर्ण करने का लक्ष्य | व्या योजना नई है | क्या योजना विगत वर्ष से चली आ रही है | चालू वर्ष में अपेक्षित निष्ठियां | टिप्पणियां |
|--------|---------------------------------|-------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 1      | अवसरधना (1)                  | 5     | 6                                           | 7                             | 8              | 9              | 10             | 11             | 12           |
| 2      | अवसरधना (11)                  | 3     | 4                                           | 5                             | 6              | 7              | 8              | 9              | 10           |
| 3      | अन्य अवसरधना                  | 2     | स्वास्थ्य                                     |                               | 6              | 7              | 8              | 9              | 10           |
| 4      | कृषि एवं सहायक क्षेत्र        | 3     | कृषि एवं सहायक क्षेत्र                      |                               | 6              | 7              | 8              | 9              | 10           |
| 5      | शिक्षा                            | 4     | सामाजिक क्षेत्र                             |                               | 6              | 7              | 8              | 9              | 10           |
| 6      | खेल गतिविधियां              | 5     | शिक्षा                                       |                               | 6              | 7              | 8              | 9              | 10           |
| 7      | विशेष/विशेष विशेष क्षेत्र योजनाएं | 6     | खेल गतिविधियां                             |                               | 6              | 7              | 8              | 9              | 10           |
| कुल   |                                 | 7     |                                             |                               | 6              | 7              | 8              | 9              | 10           |
सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (डीएडीपी)

वर्ष __________ के लिए मी.ए.डी.पी. हेतु वार्षिक कार्य योजना

राज्य का नाम:

प्रस्तुत एनसी की वैधता आयोजित की गई:

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत सूचित परिस्थितियों के रखरखाव संबंधी कार्य/योजनाओं को दर्शाने वाला प्रारूप:

| क्रम सं. | क्षेत्र तथा योजनाओं/परियोजनाओं का नाम | स्थान | वालू वर्ष के लिए योजना का अनुमोदित परिपक्वता | योजना को पूरा करने का लक्ष्य | क्या योजना नई है | क्या योजना पिछले वर्ष से चली आ रही है | चालू वर्ष में अपेक्षित लिपिविद्या | टिप्पणियाँ |
|---------|---------------------------------|-------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 1       | क्रम तथा अवसर (1)              | जिला  | व्यापक                        | योजना को पूरा करने का लक्ष्य | क्या योजना नई है | क्या योजना पिछले वर्ष से चली आ रही है | चालू होने का वर्ष | पहले ही प्रयोग की जा चुकी लिपिविद्या (वर्ष वार) | टिप्पणियाँ |
| 2       | स्वास्थ्य                       | जिला  | व्यापक                        | योजना को पूरा करने का लक्ष्य | क्या योजना नई है | क्या योजना पिछले वर्ष से चली आ रही है | चालू होने का वर्ष | पहले ही प्रयोग की जा चुकी लिपिविद्या (वर्ष वार) | टिप्पणियाँ |
| 3       | कृषि एवं सहायक क्षेत्र        | जिला  | व्यापक                        | योजना को पूरा करने का लक्ष्य | क्या योजना नई है | क्या योजना पिछले वर्ष से चली आ रही है | चालू होने का वर्ष | पहले ही प्रयोग की जा चुकी लिपिविद्या (वर्ष वार) | टिप्पणियाँ |
| 4       | सामाजिक क्षेत्र                | जिला  | व्यापक                        | योजना को पूरा करने का लक्ष्य | क्या योजना नई है | क्या योजना पिछले वर्ष से चली आ रही है | चालू होने का वर्ष | पहले ही प्रयोग की जा चुकी लिपिविद्या (वर्ष वार) | टिप्पणियाँ |
| 5       | शिक्षा                          | जिला  | व्यापक                        | योजना को पूरा करने का लक्ष्य | क्या योजना नई है | क्या योजना पिछले वर्ष से चली आ रही है | चालू होने का वर्ष | पहले ही प्रयोग की जा चुकी लिपिविद्या (वर्ष वार) | टिप्पणियाँ |
| 6       | खेल गतिविधियाँ                | जिला  | व्यापक                        | योजना को पूरा करने का लक्ष्य | क्या योजना नई है | क्या योजना पिछले वर्ष से चली आ रही है | चालू होने का वर्ष | पहले ही प्रयोग की जा चुकी लिपिविद्या (वर्ष वार) | टिप्पणियाँ |
| 7       | विशेष/विशिष्ट क्षेत्र योजनाएं  | जिला  | व्यापक                        | योजना को पूरा करने का लक्ष्य | क्या योजना नई है | क्या योजना पिछले वर्ष से चली आ रही है | चालू होने का वर्ष | पहले ही प्रयोग की जा चुकी लिपिविद्या (वर्ष वार) | टिप्पणियाँ |
| कुल    |                                | जिला  | व्यापक                        | योजना को पूरा करने का लक्ष्य | क्या योजना नई है | क्या योजना पिछले वर्ष से चली आ रही है | चालू होने का वर्ष | पहले ही प्रयोग की जा चुकी लिपिविद्या (वर्ष वार) | टिप्पणियाँ |
सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएचपी)

प्रकाश____________ के लिए बी ए बी ने वार्षिक कार्य योजना

राज्य का नाम:

एस एल एस बी की बैठक आयोजित की गई:

खेल क्षेत्र के तत्त्व परियोजनाओं/योजनाओं/गतिविधियों को दर्शाने वाला प्रारूप:

| क्रम सं. | क्षेत्र तथा योजना/परियोजना का नाम | स्थान | प्राथमिक वर्ष के लिए योजना का अनुमोदित परिवर्तन | योजना को पूरा करने का लक्ष्य | क्या योजना नई है | क्या योजना विगत वर्ष से अभी आ रही है | चालू होने का वर्ष | पहले प्रयोग की आ चुकी निष्कर्ष (वर्ष वार) | चालू वर्ष में अपेक्षित निष्कर्ष | टिप्पणियाँ |
|-------|---------------------------------|-------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 1     | खेल के मैदान                      | जिला  | व्याख्या                         | ग्राम            |        | प्राथमिक वर्ष     | 11              | 12              | 11              | 12              |       |
| 2     | इंडोर स्टेडियम                   |        |                                 |                 |        |                 |                 |                 |                 |                 |       |
| 3     | समारोह                         |        |                                 |                 |        |                 |                 |                 |                 |                 |       |
| 4     | खेल का सामान                   |        |                                 |                 |        |                 |                 |                 |                 |                 |       |
| 5     | अन्य खेल गतिविधियां (प्रत्येक गतिविधि को अलग रूप से दर्शाया जाए) |        |                                 |                 |        |                 |                 |                 |                 |                 |       |
| 6     | धार्मिक (धार्मिक दिन दिया जाए) |        |                                 |                 |        |                 |                 |                 |                 |                 |       |
| कुल   |                                 |        |                                 |                 |        |                 |                 |                 |                 |                 |       |
सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (वीएडीपी)

वर्ष ______________ के लिए डी ए डी पी की वार्षिक कार्य योजना

राज्य का नाम : ______________________________

एस एल एस सी की बैठक आयोजित की गई:

क्षमता निर्माण, कौशल विकास इत्यादि से संबंधित योजनाओं को दर्शाने वाला प्रारूप:

| क्रम सं. | दिए जाने वाले प्रशिक्षण का प्रकार | स्थान | चालू वर्ष के लिए योजना का अनुमोदित परिचय | योजना को पूर्ण करने का लक्ष्य (अर्थात् लाभार्थियों होने वाले व्यक्तियों की संख्या) | प्रशिक्षण देने वाली एजेंसी का नाम | दिशाप्रेषण
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>जिला</td>
<td>व्यापक</td>
<td>ग्राम</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>कुल</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### चिन्तक का नाम:

<table>
<thead>
<tr>
<th>चिन्तक का नाम</th>
<th>उर्दू</th>
<th>एन.सी</th>
<th>केला</th>
<th>पूर्व</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>उर्दू</td>
<td>एन.सी</td>
<td>केला</td>
<td>पूर्व</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### उर्दू का वर्गीकरण:

<table>
<thead>
<tr>
<th>उर्दू का वर्गीकरण</th>
<th>रंग</th>
<th>क्रमांक</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>रंग</td>
<td>क्रमांक</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### एन.सी का वर्गीकरण:

<table>
<thead>
<tr>
<th>एन.सी का वर्गीकरण</th>
<th>रंग</th>
<th>क्रमांक</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>रंग</td>
<td>क्रमांक</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### केला का वर्गीकरण:

<table>
<thead>
<tr>
<th>केला का वर्गीकरण</th>
<th>रंग</th>
<th>क्रमांक</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>रंग</td>
<td>क्रमांक</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### पूर्व का वर्गीकरण:

<table>
<thead>
<tr>
<th>पूर्व का वर्गीकरण</th>
<th>रंग</th>
<th>क्रमांक</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>रंग</td>
<td>क्रमांक</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

यह अनुवादक - V (क)

#### गृह मंत्रालय

#### सीमा प्रबंधन विभाग

#### सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

यह ___________ के लिए वार्षिक कार्य योजना

#### राज्य का नाम:

#### राज्य स्तरीय स्कीलिंग समिति की बैठक आयोजित की गई:

#### जिले का नाम:

#### ब्लॉक का नाम:

#### सीमापार्वती ब्लॉक में प्रयोग की जाने वाली निर्दिष्ट योजना-यार व्योजा

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रम सं.</th>
<th>योजना का नाम</th>
<th>व्याख्यान में प्रयोग की जाने वाली राशि</th>
<th>तिप्पणियां</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>राज्य के संसाधनों से बाहर (उन क्षेत्रों का उल्लेख करें जिनमें वर्ष के दौरान शिक्षा योजना की जाएगी)</td>
<td>क. राज्य योजना</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>v. राजीव गांधी ग्रामीण विकास योजना (आर जी जी फाइ)</td>
<td>ख. जिला योजना</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2. भारत सरकार की प्रधानमंत्री योजना (वर्ष के दौरान व्याख्या में प्रयोग की जाने वाली राशि का विवरण है)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>i. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (पी एम जी एस फाइ)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ii. त्योहारी ग्रामीण जनजीवन (ए आर भक्कु एस)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>iii. त्योहारी सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए आई बी पी)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>iv. ग्रामीण तेलिफोनी</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>v. राजीव गांधी ग्रामीण विकास योजना (आर जी जी फाइ)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>vi. महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (अन्तर्गत)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>vii. सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टी एंड सी) - निम्नलिखित भारत</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>viii. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छता मिशन (एन एच वार एफ)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ix. सर्व शिक्षा अभियान (एस एस ए)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>x. गिड-डे मील कार्यक्रम</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>xi. एकीकृत वाल विकास योजना (आई सी डी एस)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>xii. विस्तार क्षेत्र अनुदातन परिचय (बी आर जी एफ)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>xiii. राजीव गांधी खेत अभियान (आर जही के ए)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>xiv. कौशल विकास योजनाएं इत्यादि</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>xlv.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

3. अन्य क्रांती तौर पर प्रयोजित योजनाएं (सी एस एस)
4. कोई अन्य योजना (जैसे कि कृषि इत्यादि)
5. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (डी ए डी पी)
गृह मंत्रालय  
सीमा प्रबंधन विभाग  
सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

यथा

के लिए वार्षिक कार्य योजना

राज्य का नाम:

राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति (एस एल एस सी) की दिनांक को बैठक आयोजित की गई

जिले का नाम:

प्रांक का नाम:

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत वार्षिक कार्य योजना में प्रयुक्त निष्पादियों का क्षेत्र-वार व्योरा

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रम सं.</th>
<th>क्षेत्र का नाम</th>
<th>सृजित सम्पत्तियों की संख्या</th>
<th>प्रयुक्त राशि (लाख र. में)</th>
</tr>
</thead>
</table>
| i.      | (क) अवसरधना (11)  
(क) सड़कें/लिंक रोड (लम्बाई कि.मी. में)  
(ख) पुल/पुलिसाय/एफ एस वी (लम्बाई कि.मी. में)  
(ग) फुटपाथ/पाथस्वरोपयो  
(घ) सीडिया/ईट की सीडियाँ  
(ङ) हैलीपेड  
(ँ) अवसरधना (11)  
सुरक्षित पेय जलापूर्ति  
(ग) अन्य अवसरधना |
| ii. स्वास्थ्य | i) डॉक्टरों एवं परा चिकित्सकों के लिए घर  
ii) भर्ती  
iii) चिकित्सा उपकरण  
iv) मोबाइल हिस्ट्रेसी/एम्बुलेंस  
v) सीमा दीवार (मी. में) |
| iii. कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र | |
| iv. सामाजिक क्षेत्र;  
क) सामुदायिक केन्द्र  
ख) सांस्कृतिक केन्द्र  
ग) पर्यटन  
घ) अंगनवाड़ी  
ङ) यूथों एवं अशक्त व्यक्तियों इत्यादि के लिए आश्रय  
च) क्षेत्र की निर्माण/कौशल विकास/रोजगार  
ङ) सुजन पत्रकार एवं आतिथ्य सल्लाम  
सहित |
<p>| | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ह) ग्रामीण स्वच्छता/स्वच्छ भारत अभियान</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ज) शैक्षणिक एवं अन्य स्टोक हेतु घर</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(i) पुरुष</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(ii) महिलाएं</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(iii) अन्य</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>v) शिक्षा</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>i) शैक्षणिक एवं अन्य स्टोक हेतु घर</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ii) बिचारालयों/प्रयोगशालाओं/कम्यूनिटी कार्यों की शिक्षा</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>iii) रिहायशी स्कूल</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>iv) पुरुषकाल</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>v) सीमा दीवार (भी.भी.)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>vi) खेल गतिविधियाँ</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>i) खेल के मैदान</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ii) छोटे खुले स्टेडियम</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>iii) इंडोर स्टेडियम/सभागार</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>iv) एडवर्चर स्पोर्ट्स</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>v) खेल का सामान</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>vii) विशेष/विशिष्ट क्षेत्र योजनाएं:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>क) आदर्श ग्राम</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ख) मोबाइल डिस्पेंसरी</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ग) आर्जितविका</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>घ) आर्जितविका खेती को व्यवस्था देना</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>झ) शैक्षकता</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>च) पर्यटन</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>छ) स्वच्छ भारत अभियान</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ज) वेयरहाउस</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>viii) विभिन्न इकाई एवं क्षेत्रों का रक्षित क्षेत्र:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>उपरोक्त क्षेत्रों में सीमा क्षेत्र बनाएं</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>तथा अन्य सुरक्षा क्षेत्रों द्वारा सुरक्षा बनाएं</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ix) रिजर्व निधि के तहत शुरु किए गए कार्य/योजनाएं:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(i) अनुमोदन</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(ii) प्रशासनिक व्यवस्था</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(iii) श्रम आईए एसए एवं क्रियान्वयन</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(iv) भी.भी. ओ</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>v) अन्य</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

कुल:
| क्रम सं. | क्षेत्र तथा योजनाओं/परियोजना का नाम | स्थान | योजना शुरू होने का वर्ष | अनुमोदित परिवर्तन | कार्य को पूरा करने की तारीख सहित वास्तविक तारीख | अब तक किया गया त्याग (वर्ष-वार) | तिमाही के दौरान त्याग | तिमाही तक संचित त्याग | वास्तविक प्रगति | टिप्पणियाँ |
|---------|--------------------------------|-------|----------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|
| 1       | जिला | व्यूक | ग्राम | | | | | | | | |
| 2       | अवसरपत्र | (1) | | | | | | | | | |
| 3       | अवसरपत्र | (11) | | | | | | | | | |
| 4       | अवसरपत्र | | | | | | | | | | |
| 5       | स्वास्थ्य | | | | | | | | | | |
| 6       | कृषि एवं सहायक क्षेत्र | | | | | | | | | | |
| 7       | सामाजिक क्षेत्र | | | | | | | | | | |
| 8       | शिक्षा | | | | | | | | | | |
| 9       | खेल गतिविधियां | | | | | | | | | | |
| 10      | विशेष/विशिष्ट क्षेत्र योजनाएं | | | | | | | | | | |
| 11      | कुल | | | | | | | | | | |

नोट: (i) खेल गतिविधियों से संबंधित, श्रमिक निर्माण, कौशल विकास, रोजगार सुन्दरता से जुड़ी तथा वी जी एफ द्वारा सुझाव दी गई योजनाएं एक पृथक शीट पर अलग से दर्शाई जाएं।
फार्म जी एक आर १९ ए

(नियमावली (१५०) के तहत भारत सरकार का निर्णय (१) देखें)

उपयोग प्रमाणपत्र संबंधी फार्म

| क्रम सं. | पत्र सं. एवं दिनांक | राशि | प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष -------- के दौरान मंत्रालय/विभाग के हासिल में दिए गए पत्र सं. के तहत --
|----------|------------------|-------|---------------------------------------------------------------
|          | भारत सरकार द्वारा लिखितों के अनुमोदन के संबंध में जारी किए गए पत्र तारीख सहित | यह वर्ष जिसके लिए राशि अनुमोदित की गई | ---------------------------------
|          | से अनुमोदित से आपके पत्र में अनुमोदित ---------------के र. के सहायता अनुदान तथा विकल्प अनुदान के अधिकारी कार्यालय के आधार पर 
|          | र. में से ---------------के र. की राशि ---------------अनुमोदित उद्देश्य के लिए वर्ष की गई है जिसके लिए यह अनुमोदित 
|          | वर्ष के अन्त तक उपयुक्त रही, को सरकार को (दिनांक ---------------के सं. के तहत) अनुमोदित कर दी गई है तथा इन्हें आगामी वर्ष 
| कुल     | की राशि ---------------अनुमोदित कर दी गई है तथा इन्हें आगामी वर्ष के दौरान देश सहायता अनुदान के समायोजित कर दिया 

2. प्रमाणित किया जाता है कि मैं इस बात से संबंध हूँ कि जिले लिपी पर सहायता अनुदान को अनुमोदित किया गया था उन्हें 
| पूर्ण स्पष्ट रूप से किया जा रहा है तथा, यह कि मैं ने यह पत्र लगाने के लिए कि क्या धन का उपयोग बास्तव में उसी 
| उद्देश्य हेतु है जिसके लिए यह राशि अनुमोदित की गई थी, निम्नलिखित जांच की है।

की गई जांच का प्रकार:

1.
2.
3.

हस्ताक्षर

पदनाम

दिनांक